

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 102/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
पोकरराम पुत्र हीराराम जाति भील, निवासी धारवीकला हाल निवासी भीलों की रामसर, डांगरी तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर	1 पबाराम पुत्र पूनमाराम 3 राहुराम पुत्र पूनमाराम 5 देमी पत्नी पूनमाराम 7 मुकनाराम पुत्र करनाराम 9 दलाराम पुत्र करनाराम 11 रूगाराम पुत्र करनाराम जाति भील, निवासी धारवीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 13 चौखाराम पुत्र जुझाराम फौत के कायम मुकाम 13.1 अर्जुनराम पुत्र चौखाराम 13.2 खमाणाराम पुत्र चौखाराम 13.3 धर्माराम पुत्र चौखाराम 13.4 गुलाबाराम पुत्र चौखाराम 13.5 बबरीदेवी पत्नी चौखाराम	2 अचलाराम पुत्र पूनमाराम 4 साहूराम पुत्र पूनमाराम 6 मानाराम पुत्र करनाराम 8 दानाराम पुत्र करनाराम 10 हेताराम पुत्र करनाराम 12 इन्द्रोदेवी पत्नी करनाराम 15 खेतुदेवी पत्नी राहुराम 17 शिवदानराम पुत्र हीराराम 19 चेनाराम पुत्र नेहचलराम 21 पेपाराम पुत्र नेहचलराम 23 कस्तुराराम पुत्र नेहचलराम
	14 शांतिदेवी पत्नी पबाराम 16 छोटूदेवी पत्नी साहुराम 18 खेताराम पुत्र नेहचलराम 20 दीपाराम पुत्र नेहचलराम 22 देउराम पुत्र नेहचलराम 24 गवरी पत्नी नेहचलराम जाति भील, निवासी भीलों की रामसर, डांगरी तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 25 तहसीलदार शिव	

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत।  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण - श्री जेठाराम कुमावत।



--: निर्णय :-

दिनांक : 03.02.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन सही नहीं होने तथा एकतरफा तैयार होने का कथन करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया गया। चूंकि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तैयार किया गया है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम धारवीकला के खेत खसरा नम्बर 10, 11 रकबा क्रमशः 0.0405, 28.9431 हैक्टेयर तथा ग्राम ओमनगर के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 7.6243 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारानु के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	वरंग
1	पोकरराम पुत्र हीराराम कौम भील सा0 धारवीकला खातेदार	ओमनगर	161	1.2707	बा.चा.	-	गुलाबी
2	अचलाराम 1/25 राहुराम 1/25 साहुराम 1/25 पि0 पूनमाराम देमी पत्नी पूनमाराम 1/25, अर्जुनराम 1/25 खमाणाराम 1/25 गुलाबाराम 1/25 धर्माराम 1/25 पि0 चौखाराम बबरीदेवी पत्नी चौखाराम 1/25, इन्द्रीदेवी पत्नी करनाराम 1/35 दलाराम 1/35 दानाराम 1/35 मुकनाराम 1/35 मानाराम 1/35 रूगाराम 1/35 हेताराम 1/35 पि0 करनाराम, कस्तुराराम 1/35 खेताराम 1/35 चैनाराम 1/35 देउराम 1/35 दीपाराम 1/35 पेम्पाराम 1/35 पि0 नेहचलराम गवरी पत्नी नेहचलराम 1/35, निम्बाराम 1/75 परमेश्वर 1/75 समेलाराम 1/75 पि0 पबाराम, शिवदानराम पुत्र हीराराम 1/35 कौम भील सा0 धारवीकला खातेदार शेष बदस्तुर जमाबंदी	ओमनगर	161	6.3536	बा.चा.	-	सफेद
	पोकरराम पुत्र हीराराम कौम भील सा0 धारवीकला खातेदार	धारवीकला	11	4.8306	बा.चा.	-	गुलाबी
3	अचलाराम 179/4476 राहुराम 179/4476 साहुराम 179/4476 पि0 पूनमाराम देमी पत्नी पूनमाराम 179/4476, इन्द्रीदेवी पत्नी करनाराम 597/20888 दलाराम 597/20888 दानाराम 597/20888 मुकनाराम 597/20888 मानाराम 597/20888 रूगाराम 597/20888 हेताराम 597/20888 पि0 करनाराम, कस्तुराराम 597/20888 खेताराम 597/20888 चैनाराम 597/20888 देउराम 597/20888 दीपाराम 597/20888 पेम्पाराम 597/20888 पि0 नेहचलराम गवरी पत्नी नेहचलराम 597/20888, खेतुदेवी पत्नी राहुराम 199/2984, छोटुदेवी पत्नी साहुराम 199/2984 शांतिदेवी पत्नी पबाराम 199/2984, निम्बाराम 119/8952 परमेश्वर 119/8952 समेलाराम 119/8952 पि0 पबाराम, अर्जुनराम 179/4476 खमाणाराम 179/4476 गुलाबाराम 179/4476 धरमाराम 179/4476 पि0 चौखाराम बबरी पत्नी चौखाराम 179/4476 कौम भील सा0 देह खातेदार शेष बदस्तुर जमाबंदी	धारवीकला	10 11	0.0405 24.1125	गे.मु. ढाणी बा.चा.	- -	सफेद

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

*Shiv*  
सहायक कलेक्टर  
(SHD) शिव

*Shiv*  
सहायक कलेक्टर  
(SHD) शिव